तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र संख्या /63/2014 उनवान अप्रार्थ बनाम ओम
16/3/16	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी ... कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ... दिनांक 06/5/16 को पेश हो।
06/5/16	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण 01 लगायत 06 व 11, 13 को तामील हो चुकी है किन्तु वे अनुपस्थित हैं, अप्रार्थीगण 01 लगायत 06 व 11, 13 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 117, 128 LR Act पर बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली पैमाना शुमार होकर नम्बर से कम हो। Rajput उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड ...
पीठासीन अधिका...
राजस्व ...
1. अजमल पुत्र ...
2. रामप्रसा...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी सुश्री नेहा राजपूत (आई.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 163/2024

1. अजमल पुत्र मोतीलाल
2. रामप्रसाद पुत्र भाणु

सर्व बालिग सर्व जाति रेगर सर्व निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील श्रीनगर जिला अजमेर राजस्थान।

बनाम

– प्रार्थीगण

1. ओम पुत्र भागीरथ जाति रेगर निवासी ग्राम श्रीनगर, तहसील श्रीनगर जिला अजमेर राजस्थान।
2. माया ऐरण पत्नि नवलकिशोर ऐरण जाति अग्रवाल सा. सिंधी मौहल्ला नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान ।
3. कल्याण पुत्र सायरा जाति रेगर निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील श्रीनगर जिला अजमेर राजस्थान ।
4. फूलचन्द पुत्र सायरा जाति रेगर निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील श्रीनगर जिला अजमेर राजस्थान।
5. लादूराम पुत्र लक्ष्मणराम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी अ.विव. प्लाट संख्या 5 आर०पी०एस० कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली
6. बबिता पत्नि मुकेश टांक जाति टांक निवासी कृष्णापुरी, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
7. मुन्नी देवी पत्नि गोविन्दप्रसाद मून्दडा जाति माहेश्वरी निवासी पुराना शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
8. प्रदीपकुमार पुत्र भागचन्द मेहता जाति ओसवाल निवासी बोहरों का मौहल्ला किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
9. सीमा पत्नि जसवन्त बाफना जाति ओसवाल निवासी 111, मित्र निवास कॉलोनी, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
10. सोनिका पत्नि रवि राठी जाति माहेश्वरी निवासी 41, आनासागर लिन्क रोड़ अजमेर जिला अजमेर राजस्थान।
11. पुष्पा पत्नि रामगोपाल जाति अग्रवाल निवासी सी.–16, एम.डी. कॉलोनी, नाकामदार अजमेर जिला अजमेर राजस्थान।
12. सरोज पत्नि अरुणकुमार जाति ओसवाल निवासी 18, विनयनगर, दादाबाडी पाल बीचला अजमेर जिला अजमेर राजस्थान।
13. भंवरलाल पुत्र प्रभूलाल जाति माली निवासी मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
14. अशोक पुत्र पुरुषोत्तम सेकसरिया जाति अग्रवाल निवासी महावीर कॉलोनी, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
15. उषा देवी पत्नि गणेश राठी जाति माहेश्वरी निवासी कृष्णा सिंधी कॉलोनी, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

दिनांक 06.04.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी ग्राम उदयपुरकलां पटवार हल्का सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 237 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.8333 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

5663 हैक्टेयर कुल किता 3. कुल रकबा 1.8041 हैक्टेयर भूमि है जिसकी चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार से है एवं चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जा रहा है। अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थी की भूमि की चारो दिशाओं में है। उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 238 रकबा 0.8333 हैक्टैयर स्थित है ,उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो सलग्न नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 239 रकबा 0.5663 हेक्टेयर भूमि की चतुर्थ सीमा उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण संयुक्त रूप से ग्राम उदयपुरकलां पटवार क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 237, 238, 239 भूमि है परन्तु अप्रार्थी संख्या लगायत 15 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण की आराजी की मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थीगण की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 237, 238, 239का सीमाज्ञान हेतु दिनांक 16.05.2024 को चालान कटवा कर सीमाज्ञान शुल्क जमा कराया गया है जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है चूंकि प्रार्थीगण एवं मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 आपस में पड़ौसी खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 एवं उनके परिवारजन के द्वारा बिजाई, बुवाई के दिनो में प्रार्थीगण की सीव, मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात. अतिचार, अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का परिवार काफी परेशान है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु स द्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पडौसी खातेदारान की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तो कि व नियमो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खसरा नम्बर 237 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 238 रकबा 08333 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.5663 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.8041 हैक्टेयर भूमि की नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस /जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें। अप्रार्थी संख्या 16 को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से की जावे. एवं माननीय न्यायालय के आदेश की पालना हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी महोदय, को आदेशित किया जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2024 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 16.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 07, 08, 10, 12, 14 , 15 की ओर से अधिवक्ता श्री

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

नराज शर्मा ने वकालतनामा पेश किया किन्तु दिनांक 06.04.2026 तक भी बावजूद तामिली के नुपस्थित रहने से दिनांक 06.04.2026 को उक्त अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 06 एवं 09, 11, 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. दिनांक 06.04.2026 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम उदयपुरकलां पटवार हल्का सिलोरा खसरा संख्या 237, 238, 239 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8041 हैक्टेयर प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है तथा हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 16.05.2024 को वादअधीन भूमि का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी ग्राम किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या उदयपुरकलां पटवार हल्का सिलोरा खसरा संख्या 237, 238, 239 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8041 हैक्टेयर के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा उदयपुरकलां पटवार हल्का सिलोरा खसरा संख्या 237, 238, 239 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8041 हैक्टेयर भूमि का मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 2000/– अक्षरे दो हजार रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)